



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112021-231253
CG-DL-E-18112021-231253

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 659]
No. 659]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 2021/कार्तिक 27, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 2021/KARTIKA 27, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2021

सं. 14/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 816(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (1) और धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

क. अनुसूची I - 2.5% में, -

(i) क्र. सं. 203, 207, 211, 216, 217, 218, 218ख, 218ग, 219क, 219कक, 219ख, 220, 221, 222, 223, 224, 224क एवं 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

ख. अनुसूची II - 6% में, -

(i) क्रम संख्या 132क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

- (ii) क्रम संख्या 132क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“132कक	5007	सिल्क या सिल्क अपशिष्ट से बुने हुए कपड़े
132कख	5111	कार्डेड ऊन या पशुओं के कार्डेड फाईन हेयर से बुने हुए कपड़े
132कग	5112	कोमड ऊन या पशुओं के कोमड फाईन हेयर से बुने हुए कपड़े
132कघ	5113	पशुओं के कोयर्स हेयर या घोड़ों के बाल से बने हुए कपड़े
132कड.	5208	बुने हुए सूती कपड़े जिसमें कपास भार के हिसाब से 85% या इससे अधिक हो, जिनका भार 200g/m ² से अधिक न हो
132कच	5209	बुने हुए सूती कपड़े जिसमें कपास भार के हिसाब से 85% या इससे अधिक हो, जिनका भार 200g/m ² से अधिक न हो
132कछ	5210	बुने हुए सूती कपड़े जिसमें कपास भार के हिसाब से 85% से कम हो, जो कि मुख्यतः या पूर्ण रूप से मानव निर्मित फाइबर्स से मिश्रित हो, जिनका भार 200g/m ² से अधिक न हो
132कज	5211	बुने हुए सूती कपड़े जिसमें कपास भार के हिसाब से 85% से कम हो, जो कि मुख्यतः या पूर्ण रूप से मानव निर्मित फाइबर्स से मिश्रित हो, जिनका भार 200g/m ² से अधिक न हो
132कझ	5212	अन्य बुने हुए सूती कपड़े
132कञ	5309	फ्लैक्स के बुने हुए कपड़े
132कट	5310	जूट या अन्य टेक्सटाईल बास्ट फाइबर्स, जो कि शीर्षक 5303 के अंतर्गत आता है, से बुने हुए कपड़े
132कठ	5311	अन्य वानस्पतिक टेक्सटाईल फाइबर से बुने हुए कपड़े; पेपर यार्न से बुने हुए कपड़े”;

- (iii) क्रम संख्या 132ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

- (iv) क्रम संख्या 132ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“132खक	5401	मानव निर्मित फिलामेंट से बने सिलाई के धागे, चाहे इनकी खुदरा बिक्री की जानी हो या नहीं
132खख	5402	सिंथेटिक फिलामेंट यार्न (सिलाई के धागे से भिन्न), जो खुदरा बिक्री के लिए न हों, जिनमें कम से कम 67 डेसीटेक्स का सिंथेटिक मोनोफिलामेंट भी शामिल है
132खग	5403	आर्टिफिशियल फिलामेंट यार्न (सिलाई के धागे से भिन्न), जो खुदरा बिक्री के लिए न हों, जिनमें कम से कम 67 डेसीटेक्स का आर्टिफिशियल मोनोफिलामेंट भी शामिल है
132खघ	5404	67 डेसीटेक्स या इससे अधिक का सिंथेटिक मोनोफिलामेंट, और जिसका क्रॉस-सेक्शनल डायमेंशन 1 मि.मी. से अधिक हो; सिंथेटिक टेक्सटाईल सामग्री की पट्टियां और इसी प्रकार की वस्तुएं (जैसे कि आर्टिफिशियल स्ट्रा), ऊपरी तौर पर जिनकी चौड़ाई 5 मि.मी. से अधिक न हो

132खड.	5405	67 डेसीटेक्स या इससे अधिक का आर्टिफिशियल मोनोफिलामेंट, और जिसका क्रॉस-सेक्शनल डायमेंशन 1 मि.मी. से अधिक हो; सिंथेटिक टेक्सटाईल सामग्री की पट्टियां और इसी प्रकार की वस्तुएं (जैसे कि आर्टिफिशियल स्ट्रा), ऊपरी तौर पर जिनकी चौड़ाई 5 मि.मी. से अधिक न हो
132खच	5406	मानव निर्मित फिलामेंट यार्न (सिलाई के धागे से भिन्न) जिसे खुदरा बिक्री के लिए रखा गया हो
132खछ	5407	सिंथेटिक फिलामेंट यार्न से बुने हुए कपड़े, जिसमें वे बुने हुए कपड़े भी आते हैं जो शीर्षक 5404 की सामग्री से प्राप्त किए गए हों
132खज	5408	आर्टिफिशियल फिलामेंट यार्न से बुने हुए कपड़े, जिसमें वे बुने हुए कपड़े भी आते हैं जो शीर्षक 5405 की सामग्री से प्राप्त किए गए हों

(v) क्रम संख्या 132ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 132ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“132गक	5501	सिंथेटिक फिलामेंट टो
132गख	5502	आर्टिफिशियल फिलामेंट टो
132गग	5503	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स, जो कार्डेड न हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों
132गघ	5504	आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स, जो कार्डेड न हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों
132गड.	5505	मानव निर्मित फाइबर्स के अपशिष्ट (जिसमें नोएल्स, यार्न अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक भी आता है)
132गच	5506	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स, जो कार्डेड हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों
132गछ	5507	आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स, जो कार्डेड हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों
132गज	5508	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स से बने सिलाई के धागे, चाहे इनकी खुदरा बिक्री की जानी हो या नहीं
132गझ	5509	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के यार्न (सिलाई धागे से भिन्न), जो कि खुदरा बिक्री के लिए न हों
132गञ	5510	आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स के यार्न (सिलाई धागे से भिन्न), जो कि खुदरा बिक्री के लिए न हों
132गट	5511	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के यार्न (सिलाई धागे से भिन्न), जो कि खुदरा बिक्री के लिए हों
132गठ	5512	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े, जिनमें सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स भार के हिसाब से 85% या इससे अधिक हों
132गड	5513	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े, जिनमें ऐसा फाइबर्स 85% से कम हो, जिसमें कपास मुख्य रूप से या पूर्णतया मिश्रित हो, जिनका भार 170 g/m ² से अधिक न हो

132गढ	5514	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े, जिनमें ऐसा फाइबर्स 85% से कम हो, जिसमें कपास मुख्य रूप से या पूर्णतया मिश्रित हो, जिनका भार 170 g/m ² से अधिक हो
132गण	5515	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए अन्य कपड़े
132गत	5516	आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े”;

- (vii) क्रम संख्या 132घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 139 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ट्विन, कार्डेज, रस्सियां और केबल्स, चाहे ये प्लेटेड या ब्रेंडेड हों या नहीं और चाहे रबर या प्लास्टिक से इम्प्रेग्नेटेड, कोटेड या सिदेड हो या नहीं”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 139 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“139क	5608	ट्विन, कार्डेज या रस्सियों के नोटेड नटिंग्स फिशिंग नेट्स के मेड अप्स” और अन्य मेड अप्स नेट्स, टेक्सटाईल्स सामग्री के;
-------	------	---

- (x) क्रम संख्या 146 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“146क	5801	बुने हुए पाईल फेब्रिक्स और शीनाईल फेब्रिक्स, उन फेब्रिक्स से भिन्न जो शीर्षक 5802 या 5806 के अंतर्गत आते हैं
-------	------	--

- (xi) क्रम संख्या 151 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“151क	5806	नैरो ओवैन फेब्रिक्स, शीर्षक 5807 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं से भिन्न; नैरो फेब्रिक्स जो कि बिना वेफ्ट के वार्प से बने हों, और चिपकाने वाले पदार्थ (बोल्डक्स) से जुड़े हों;
-------	------	---

- (xii) क्रम संख्या 154 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ब्रेड नग में; अलंकृत झालरें, बिना कशिदाकारी की, बुनी या क्रोशियाकृत से भिन्न, झब्बा, फून्दना और वैसी ही वस्तुएं”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xiii) क्रम संख्या 155 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “मेटल थ्रेड से बुने हुए कपड़े और शीर्षक 5605 के अंतर्गत आने वाले धातुकृत यार्न के बुने हुए कपड़े, जिनका प्रयोग परिधानों में किया जाता हो, फर्निशिंग फेब्रिक्स या अन्य उद्देश्य के लिए जिनका उपयोग होता हो, जो अन्य कहीं उल्लिखित न हो”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xiv) क्रम संख्या 156 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “कशिदाकारी जो नग में, पट्टियों में या मोटिप्स में हों”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xv) क्रम संख्या 168 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द “इस अध्याय”, के स्थान पर “अध्याय 59”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xvi) क्रम संख्या 168 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“168क	6001	पाईल फेब्रिक्स, जिसमें “लांग पाईल” फेब्रिक्स और टेरी फेब्रिक्स भी आते हैं, जो निटेड या क्रोचेटिड हों
168ख	6002	निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स, जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से अधिक न हों, जिसमें इलास्टोमेरिक यार्न या रबर थ्रेड भार के हिसाब 5% या अधिक हो, उनसे भिन्न जो शीर्षक 6001 के अंतर्गत आते हैं
168ग	6003	निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स, जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से अधिक न हो, उनसे भिन्न जो कि शीर्षक 6001 या 6002 के अंतर्गत आते हैं
168घ	6004	निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स, जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से अधिक हो, जिनमें इलास्टोमेरिक यार्न या रबर थ्रेड भार का हिसाब 5% या अधिक हो, उनसे भिन्न जो शीर्षक 6001 के अंतर्गत आते हैं
168ङ.	6005	वार्प निट फेब्रिक्स (जिसमें वे भी आते हैं जो गैलून निटिंग मशीन्स पर बने हों), उनसे भिन्न जो शीर्षक 6001 से 6004 तक में आते हों
168च	6006	अन्य निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स”;

- (xvii) क्रम संख्या 169 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन, निटेड या क्रोचेटिड”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xviii) क्रम संख्या 170 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन, निटेड या क्रोचेटिड न हों”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xix) क्रम संख्या 171 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;
- (xx) क्रम संख्या 171क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“171 क1	6301	कंबल और ट्रेवलिंग रग्स
171 क2	6302	बेड लिनन, टेबल लिनन, टायलेट लिनन और किचन लिनन
171 क3	6303	कर्टेन्स (ड्रैप्स समेत) और इंटरियर ब्लाइंड्स; कर्टेन या बेड वेलेन्सेस
171 क4	6304	फर्निशिंग की अन्य वस्तुएं, उनसे भिन्न जो शीर्षक 9404 के अंतर्गत आते हैं
171 क5	6305	बोरे और थैले, जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो
171 क6	6306	तिरपाल, शामियाना और सनब्लाइंड्स; तंबू; नावों के लिए पाल, सेलबोर्ड या लैंडक्राफ्ट; शिविर के सामान
171 क7	6307	अन्य विनिर्मित वस्तुएं, ट्रेस पेटनर्स समेत
171 क8	6308	सेट्स, जो कि बोवेन फेब्रिक्स या यार्न से बने हों, चाहे इनमें सहायक सामग्री लगी हो या नहीं, जो कि गलीचे, टेपेस्ट्री, कशीदाकारी टेबल क्लॉथ या सर्वियेट्स या इसी प्रकार के कपड़े की वस्तुओं के बनाने के लिए प्रयोग में आते हों, जिनको खुदरा बिक्री के लिए पैकिंग में रखा गया हो
171 क9	6309	पहने गए कपड़े और पहनी गई अन्य वस्तुएं
171 क10	6310	प्रयोग में लाए गए या नए रैग्स, स्कैप्स, ट्वाईन, कोर्डेज, रस्सियां और केबल्स तथा ट्वाईन, कोर्डेज, रस्सियां और केबल्स की प्रयोग की हुई वस्तुएं, टेक्सटाईल्स सामग्री के”;

“171 क11	64	फुटवियर, जिनका बिक्री मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक हो।”
-------------	----	--

ग. अनुसूची III – 9% में, -

(झ) क्रम संख्या 159, 160, 161, 162 एवं 163 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना, जब तक कि अन्यथा न बताया जाए, 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 13/2021-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 27 अक्टूबर, 2021, जिसे सा.का.नि. 763(अ), दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग- II खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2021

No. 14/2021-Central Tax (Rate)

G.S.R. 816(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

a. in Schedule I – 2.5%, -

(i) S.Nos. 203, 207, 211, 216, 217, 218, 218B, 218C, 219A, 219AA, 219B, 220, 221, 222, 223, 224, 224A and 225 and the entries relating thereto shall be omitted;

b. in Schedule II – 6%, -

(i) S.No. 132A and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) after S.No. 132A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“132AA	5007	Woven fabrics of silk or of silk waste.
132AB	5111	Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair.
132AC	5112	Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair.
132AD	5113	Woven fabrics of coarse animal hair or of horse hair.
132AE	5208	Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing not more than 200g/m ² .

132AF	5209	Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing more than 200g/m ² .
132AG	5210	Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200g/m ² .
132AH	5211	Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200g/m ² .
132AI	5212	Other woven fabrics of cotton.
132AJ	5309	Woven fabrics of flax.
132AK	5310	Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading 5303.
132AL	5311	Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn.”;

(iii) S.No. 132B and the entries relating thereto shall be omitted;

(iv) after S.No. 132B and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“132BA	5401	Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale.
132BB	5402	Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex.
132BC	5403	Artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including artificial monofilament of less than 67 decitex.
132BD	5404	Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm.
132BE	5405	Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of artificial textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm.
132BF	5406	Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail sale.
132BG	5407	Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5404.
132BH	5408	Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5405.”;

(v) S.No. 132C and the entries relating thereto shall be omitted;

(vi) after S.No. 132C and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“132CA	5501	Synthetic filament tow.
132CB	5502	Artificial filament tow
132CC	5503	Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning.
132CD	5504	Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning.
132CE	5505	Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres.
132CF	5506	Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning.
132CG	5507	Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning.
132CH	5508	Sewing thread of man-made staple fibres, whether or not put up for retail sale.
132CI	5509	Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, not put up for retail sale.
132CJ	5510	Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, not put up for retail sale.
132CK	5511	Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibres, put up for retail sale.
132CL	5512	Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85% or more by weight of synthetic staple fibres.
132CM	5513	Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight not exceeding 170 g/m ² .
132CN	5514	Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/m ² .
132CO	5515	Other woven fabrics of synthetic staple fibres.
132CP	5516	Woven fabrics of artificial staple fibres.”;

(vii) S.No. 132D and the entries relating thereto shall be omitted;

(viii) against S.No. 139, in column (3), for the entry, the entry “Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated or sheathed with rubber or plastics.” shall be substituted;

(ix) after S.No. 139 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

“139A	5608	Knotted netting of twine, cordage or rope; made up of fishing nets and other made up nets, of textile materials.”;
-------	------	--

(x) after S.No. 146 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“146A	5801	Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 5802 or 5806.”;
-------	------	--

(xi) after S.No. 151 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

“151A	5806	Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs).”;
-------	------	---

(xii) against S.No. 154, in column (3), for the entry, the entry “Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles.” shall be substituted;

(xiii) against S.No. 155, in column (3), for the entry, the entry “Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn of heading 5605, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes, not elsewhere specified or included.” shall be substituted;

(xiv) against S.No. 156, in column (3), for the entry, the entry “Embroidery in the piece, in strips or in motifs.” shall be substituted;

(xv) against S.No. 168, in column (3), for the words “this Chapter”, the word and the figure “Chapter 59” shall be substituted;

(xvi) after S. No. 168 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:-

“168A	6001	Pile fabrics, including “long pile” fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted.
168B	6002	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001.
168C	6003	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 6001 or 6002.
168D	6004	Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001.
168E	6005	Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 6001 to 6004.
168F	6006	Other knitted or crocheted fabrics.”;

(xvii) against S.No. 169, in column (3), for the entry, the entry “Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted.” shall be substituted;

(xviii) against S.No. 170, in column (3), for the entry, the entry “Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted.” shall be substituted;

(xix) S.No. 171 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xx) after S.No. 171A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“171A1	6301	Blankets and travelling rugs.
171A2	6302	Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen.
171A3	6303	Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances.
171A4	6304	Other furnishing articles, excluding those of heading 9404.
171A5	6305	Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods.
171A6	6306	Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards

		or landcraft; camping goods.
171A7	6307	Other made up articles, including dress patterns.
171A8	6308	Sets, consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale.
171A9	6309	Worn clothing and other worn articles.
171A10	6310	Used or new rags, scrap, twine, cordage, rope and cables and worn out articles of twine, cordage, rope or cables, of textile materials.
171A11	64	Footwear of sale value not exceeding Rs.1000 per pair.”

c. in Schedule III – 9%, -

(i) S. Nos. 159, 160, 161, 162 and 163 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022, unless otherwise stated.

[F. No. 190354/206/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 13/2021 – Central Tax (Rate), dated the 27th October, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 763(E), dated the 27th October, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2021

सं. 14/2021-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 817(अ).—एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1) और और केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

क. अनुसूची I – 5% में, -

(i) क्र. सं. 203, 207, 211, 216, 217, 218, 218ख, 218ग, 219क, 219कक, 219ख, 220, 221, 222, 223, 224, 224क एवं 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

ख. अनुसूची II – 12% में, -

(i) क्रम संख्या 132क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 132क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“132कक	5007	सिल्क या सिल्क अपशिष्ट से बुने हुए कपड़े
132कख	5111	कार्डेड ऊन या पशुओं के कार्डेड फाईन हेयर से बुने हुए कपड़े
132कग	5112	कोमड ऊन या पशुओं के कोमड फाईन हेयर से बुने हुए कपड़े
132कघ	5113	पशुओं के कोयर्स हेयर या घोड़ों के बाल से बने हुए कपड़े
132कड.	5208	बुने हुए सूती कपड़े जिसमें कपास भार के हिसाब से 85% या इससे अधिक हो, जिनका भार 200g/m ² से अधिक न हो
132कच	5209	बुने हुए सूती कपड़े जिसमें कपास भार के हिसाब से 85% या इससे अधिक हो, जिनका भार 200g/m ² से अधिक न हो
132कछ	5210	बुने हुए सूती कपड़े जिसमें कपास भार के हिसाब से 85% से कम हो, जो कि मुख्यतः या पूर्ण रूप से मानव निर्मित फाइबर्स से मिश्रित हो, जिनका भार 200g/m ² से अधिक न हो
132कज	5211	बुने हुए सूती कपड़े जिसमें कपास भार के हिसाब से 85% से कम हो, जो कि मुख्यतः या पूर्ण रूप से मानव निर्मित फाइबर्स से मिश्रित हो, जिनका भार 200g/m ² से अधिक न हो
132कझ	5212	अन्य बुने हुए सूती कपड़े
132कञ	5309	फ्लैक्स के बुने हुए कपड़े
132कट	5310	जूट या अन्य टेक्सटाईल बास्ट फाइबर्स, जो कि शीर्षक 5303 के अंतर्गत आता है, से बुने हुए कपड़े
132कठ	5311	अन्य वानस्पतिक टेक्सटाईल फाइबर से बुने हुए कपड़े; पेपर यार्न से बुने हुए कपड़े”;

(iii) क्रम संख्या 132ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 132ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“132खक	5401	मानव निर्मित फिलामेंट से बने सिलाई के धागे, चाहे इनकी खुदरा बिक्री की जानी हो या नहीं
132खख	5402	सिंथेटिक फिलामेंट यार्न (सिलाई के धागे से भिन्न), जो खुदरा बिक्री के लिए न हों, जिनमें कम से कम 67 डेसीटेक्स का सिंथेटिक मोनोफिलामेंट भी शामिल है
132खग	5403	आर्टिफिशियल फिलामेंट यार्न (सिलाई के धागे से भिन्न), जो खुदरा बिक्री के लिए न हों, जिनमें कम से कम 67 डेसीटेक्स का आर्टिफिशियल मोनोफिलामेंट भी शामिल है
132खघ	5404	67 डेसीटेक्स या इससे अधिक का सिंथेटिक मोनोफिलामेंट, और जिसका क्रॉस-सेक्शनल डायमेंशन 1 मि.मी. से अधिक हो; सिंथेटिक टेक्सटाईल सामग्री की पट्टियां और इसी प्रकार की वस्तुएं (जैसे कि आर्टिफिशियल स्ट्रॉ), ऊपरी तौर पर जिनकी चौड़ाई 5 मि.मी. से अधिक न हो
132खड.	5405	67 डेसीटेक्स या इससे अधिक का आर्टिफिशियल मोनोफिलामेंट, और

		जिसका क्रॉस-सेक्शनल डायमेंशन 1 मि.मी. से अधिक हो; सिंथेटिक टेक्सटाईल सामग्री की पट्टियां और इसी प्रकार की वस्तुएं (जैसे कि आर्टिफिशियल स्ट्रा), ऊपरी तौर पर जिनकी चौड़ाई 5 मि.मी. से अधिक न हो
132खच	5406	मानव निर्मित फिलामेंट यार्न (सिलाई के धागे से भिन्न) जिसे खुदरा बिक्री के लिए रखा गया हो
132खछ	5407	सिंथेटिक फिलामेंट यार्न से बुने हुए कपड़े, जिसमें वे बुने हुए कपड़े भी आते हैं जो शीर्षक 5404 की सामग्री से प्राप्त किए गए हों
132खज	5408	आर्टिफिशियल फिलामेंट यार्न से बुने हुए कपड़े, जिसमें वे बुने हुए कपड़े भी आते हैं जो शीर्षक 5405 की सामग्री से प्राप्त किए गए हों

(v) क्रम संख्या 132ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 132ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“132गक	5501	सिंथेटिक फिलामेंट टो
132गख	5502	आर्टिफिशियल फिलामेंट टो
132गग	5503	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स, जो कार्डेड न हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों
132गघ	5504	आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स, जो कार्डेड न हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों
132गड.	5505	मानव निर्मित फाइबर्स के अपशिष्ट (जिसमें नोएल्स, यार्न अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक भी आता है)
132गच	5506	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स, जो कार्डेड हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों
132गछ	5507	आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स, जो कार्डेड हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों
132गज	5508	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स से बने सिलाई के धागे, चाहे इनकी खुदरा बिक्री की जानी हो या नहीं
132गझ	5509	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के यार्न (सिलाई धागे से भिन्न), जो कि खुदरा बिक्री के लिए न हों
132गञ	5510	आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स के यार्न (सिलाई धागे से भिन्न), जो कि खुदरा बिक्री के लिए न हों
132गट	5511	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के यार्न (सिलाई धागे से भिन्न), जो कि खुदरा बिक्री के लिए हों
132गठ	5512	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े, जिनमें सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स भार के हिसाब से 85% या इससे अधिक हों
132गड	5513	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े, जिनमें ऐसा फाइबर्स 85% से कम हो, जिसमें कपास मुख्य रूप से या पूर्णतया मिश्रित हो, जिनका भार 170 g/m ² से अधिक न हो

132गढ	5514	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े, जिनमें ऐसा फाइबर्स 85% से कम हो, जिसमें कपास मुख्य रूप से या पूर्णतया मिश्रित हो, जिनका भार 170 g/m ² से अधिक हो
132गण	5515	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए अन्य कपड़े
132गत	5516	आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े;

(vii) क्रम संख्या 132घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 139 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ट्विन, कार्डेज, रस्सियां और केबल्स, चाहे ये प्लेटेड या ब्रेडेड हों या नहीं और चाहे रबर या प्लास्टिक से इम्प्रेग्नेटेड, कोटेड या सिदेड हो या नहीं”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ix) क्रम संख्या 139 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“139क	5608	ट्विन, कार्डेज या रस्सियों के नोटेड नटिंग्स फिशिंग नेट्स के मेड अप्स” और अन्य मेड अप्स नेट्स, टेक्सटाईल्स सामग्री के;
-------	------	---

(x) क्रम संख्या 146 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“146क	5801	बुने हुए पाईल फेब्रिक्स और शीनाईल फेब्रिक्स, उन फेब्रिक्स से भिन्न जो शीर्षक 5802 या 5806 के अंतर्गत आते हैं
-------	------	--

(xi) क्रम संख्या 151 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“151क	5806	नैरो ओवैन फेब्रिक्स, शीर्षक 5807 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं से भिन्न; नैरो फेब्रिक्स जो कि बिना वेफ्ट के वार्प से बने हों, और चिपकाने वाले पदार्थ (बोल्डक्स) से जुड़े हों;
-------	------	---

(xii) क्रम संख्या 154 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ब्रेड नग में; अलंकृत झालरें, बिना कशिदाकारी की, बुनी या क्रोशियाकृत से भिन्न, झब्बा, फून्दना और वैसी ही वस्तुएं”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiii) क्रम संख्या 155 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “मेटल थ्रेड से बुने हुए कपड़े और शीर्षक 5605 के अंतर्गत आने वाले धातुकृत यार्न के बुने हुए कपड़े, जिनका प्रयोग परिधानों में किया जाता हो, फर्निशिंग फेब्रिक्स या अन्य उद्देश्य के लिए जिनका उपयोग होता हो, जो अन्य कहीं उल्लिखित न हो”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiv) क्रम संख्या 156 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “कशिदाकारी जो नग में, पट्टियों में या मोटिप्स में हों”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xv) क्रम संख्या 168 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द “इस अध्याय”, के स्थान पर “अध्याय 59”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xvi) क्रम संख्या 168 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“168क	6001	पाईल फेब्रिक्स, जिसमें “लांग पाईल” फेब्रिक्स और टेरी फेब्रिक्स भी आते हैं, जो निटेड या क्रोचेटिड हों
168ख	6002	निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स, जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से अधिक न हों, जिसमें इलास्टोमेरिक यार्न या रबर थ्रेड भार के हिसाब 5% या अधिक हो, उनसे भिन्न जो शीर्षक 6001 के अंतर्गत आते हैं
168ग	6003	निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स, जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से अधिक न हो, उनसे भिन्न जो कि शीर्षक 6001 या 6002 के अंतर्गत आते हैं
168घ	6004	निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स, जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से अधिक हो, जिनमें इलास्टोमेरिक यार्न या रबर थ्रेड भार का हिसाब 5% या अधिक हो, उनसे भिन्न जो शीर्षक 6001 के अंतर्गत आते हैं
168ङ.	6005	वार्प निट फेब्रिक्स (जिसमें वे भी आते हैं जो गैलून निटिंग मशीन्स पर बने हों), उनसे भिन्न जो शीर्षक 6001 से 6004 तक में आते हों
168च	6006	अन्य निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स”;

(xvii) क्रम संख्या 169 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन, निटेड या क्रोचेटिड”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xviii) क्रम संख्या 170 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन, निटेड या क्रोचेटिड न हों”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xix) क्रम संख्या 171 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

(xx) क्रम संख्या 171क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“171 क1	6301	कंबल और ट्रैवलिंग रग्स
171 क2	6302	बेड लिनन, टेबल लिनन, टायलेट लिनन और किचन लिनन
171 क3	6303	कर्टेन्स (ड्रैप्स समेत) और इंटरियर ब्लाइंड्स; कर्टेन या बेड वेलेन्सेस
171 क4	6304	फर्निशिंग की अन्य वस्तुएं, उनसे भिन्न जो शीर्षक 9404 के अंतर्गत आते हैं
171 क5	6305	बोरे और थैले, जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो
171 क6	6306	तिरपाल, शामियाना और सनब्लाइंड्स; तंबू; नावों के लिए पाल, सेलबोर्ड या लैंडक्राफ्ट; शिविर के सामान
171 क7	6307	अन्य विनिर्मित वस्तुएं, ड्रेस पेटर्न्स समेत
171 क8	6308	सेट्स, जो कि वोवेन फेब्रिक्स या यार्न से बने हों, चाहे इनमें सहायक सामग्री लगी हो या नहीं, जो कि गलीचे, टेपेस्ट्री, कशीदाकारी टेबल क्लॉथ या सर्वियेट्स या इसी प्रकार के कपड़े की वस्तुओं के बनाने के लिए प्रयोग में आते हों, जिनको खुदरा बिक्री के लिए पैकिंग्स में रखा गया हो
171 क9	6309	पहने गए कपड़े और पहनी गई अन्य वस्तुएं
171 क10	6310	प्रयोग में लाए गए या नए रैग्स, स्क्रेप्स, ट्वाईन, कोर्डेज, रस्सियां और केबल्स तथा ट्वाईन, कोर्डेज, रस्सियां और केबल्स की प्रयोग की हुई वस्तुएं, टेक्सटाईल्स सामग्री के”;
“171 क11	64	फुटवियर, जिनका बिक्री मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक हो।”

ग. अनुसूची III – 18% में, -

(झ) क्रम संख्या 159, 160, 161, 162 एवं 163 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना, जब तक कि अन्यथा न बताया जाए, 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 13/2021- एकीकृत कर (दर), दिनांक 27 अक्टूबर, 2021, जिसे सा.का.नि. 764(अ), दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2021

No. 14/2021-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 817(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

a. in Schedule I – 5%, -

(i) S.Nos. 203, 207, 211, 216, 217, 218, 218B, 218C, 219A, 219AA, 219B, 220, 221, 222, 223, 224, 224A and 225 and the entries relating thereto shall be omitted;

b. in Schedule II – 12%, -

(i) S.No. 132A and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) after S.No. 132A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“132AA	5007	Woven fabrics of silk or of silk waste.
132AB	5111	Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair.
132AC	5112	Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair.
132AD	5113	Woven fabrics of coarse animal hair or of horse hair.
132AE	5208	Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing not more than 200g/m ² .
132AF	5209	Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing more than 200g/m ² .

132AG	5210	Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200g/m ² .
132AH	5211	Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200g/m ² .
132AI	5212	Other woven fabrics of cotton.
132AJ	5309	Woven fabrics of flax.
132AK	5310	Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading 5303.
132AL	5311	Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn.”;

(iii) S.No. 132B and the entries relating thereto shall be omitted;

(iv) after S.No. 132B and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“132BA	5401	Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale.
132BB	5402	Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex.
132BC	5403	Artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including artificial monofilament of less than 67 decitex.
132BD	5404	Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm.
132BE	5405	Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of artificial textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm.
132BF	5406	Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail sale.
132BG	5407	Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5404.
132BH	5408	Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5405.”;

(v) S.No. 132C and the entries relating thereto shall be omitted;

(vi) after S.No. 132C and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“132CA	5501	Synthetic filament tow.
132CB	5502	Artificial filament tow
132CC	5503	Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning.

132CD	5504	Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning.
132CE	5505	Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres.
132CF	5506	Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning.
132CG	5507	Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning.
132CH	5508	Sewing thread of man-made staple fibres, whether or not put up for retail sale.
132CI	5509	Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, not put up for retail sale.
132CJ	5510	Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, not put up for retail sale.
132CK	5511	Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibres, put up for retail sale.
132CL	5512	Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85% or more by weight of synthetic staple fibres.
132CM	5513	Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight not exceeding 170 g/m ² .
132CN	5514	Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/m ² .
132CO	5515	Other woven fabrics of synthetic staple fibres.
132CP	5516	Woven fabrics of artificial staple fibres.”;

(vii) S.No. 132D and the entries relating thereto shall be omitted;

(viii) against S.No. 139, in column (3), for the entry, the entry “Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated or sheathed with rubber or plastics.” shall be substituted;

(ix) after S.No. 139 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

“139A	5608	Knotted netting of twine, cordage or rope; made up of fishing nets and other made up nets, of textile materials.”;
-------	------	--

(x) after S.No. 146 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“146A	5801	Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 5802 or 5806.”;
-------	------	--

(xi) after S.No. 151 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

“151A	5806	Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs).”;
-------	------	---

(xii) against S.No. 154, in column (3), for the entry, the entry “Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles.” shall be substituted;

(xiii) against S.No. 155, in column (3), for the entry, the entry “Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn of heading 5605, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes, not elsewhere specified or included.” shall be substituted;

(xiv) against S.No. 156, in column (3), for the entry, the entry “Embroidery in the piece, in strips or in motifs.” shall be substituted;

(xv) against S.No. 168, in column (3), for the words “this Chapter”, the word and the figure “Chapter 59” shall be substituted;

(xvi) after S. No. 168 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:-

“168A	6001	Pile fabrics, including “long pile” fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted.
168B	6002	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001.
168C	6003	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 6001 or 6002.
168D	6004	Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001.
168E	6005	Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 6001 to 6004.
168F	6006	Other knitted or crocheted fabrics.”;

(xvii) against S.No. 169, in column (3), for the entry, the entry “Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted.” shall be substituted;

(xviii) against S.No. 170, in column (3), for the entry, the entry “Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted.” shall be substituted;

(xix) S.No. 171 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xx) after S.No. 171A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“171A1	6301	Blankets and travelling rugs.
171A2	6302	Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen.
171A3	6303	Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances.
171A4	6304	Other furnishing articles, excluding those of heading 9404.
171A5	6305	Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods.
171A6	6306	Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods.
171A7	6307	Other made up articles, including dress patterns.

171A8	6308	Sets, consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale.
171A9	6309	Worn clothing and other worn articles.
171A10	6310	Used or new rags, scrap, twine, cordage, rope and cables and worn out articles of twine, cordage, rope or cables, of textile materials.
171A11	64	Footwear of sale value not exceeding Rs.1000 per pair.”

c. in Schedule III – 18%, -

(i) S. Nos. 159, 160, 161, 162 and 163 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022, unless otherwise stated.

[F. No. 190354/206/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended vide notification No. 13/2021 – Integrated Tax (Rate), dated the 27th October, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 764(E), dated the 27th October, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2021

सं. 14/2021-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 818(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1) और और केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

क. अनुसूची I – 2.5% में, -

(i) क्र.सं.203, 207, 211, 216, 217, 218, 218ख, 218ग, 219क, 219कक, 219ख, 220, 221, 222, 223, 224, 224क एवं 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

ख. अनुसूची II – 6% में, -

(i) क्रम संख्या 132क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 132क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“132कक	5007	सिल्क या सिल्क अपशिष्ट से बुने हुए कपड़े
132कख	5111	कार्डेड ऊन या पशुओं के कार्डेड फाईन हेयर से बुने हुए कपड़े
132कग	5112	कोमड ऊन या पशुओं के कोमड फाईन हेयर से बुने हुए कपड़े
132कघ	5113	पशुओं के कोयर्स हेयर या घोड़ों के बाल से बने हुए कपड़े
132कड.	5208	बुने हुए सूती कपड़े जिसमें कपास भार के हिसाब से 85% या इससे अधिक हो, जिनका भार 200g/m ² से अधिक न हो
132कच	5209	बुने हुए सूती कपड़े जिसमें कपास भार के हिसाब से 85% या इससे अधिक हो, जिनका भार 200g/m ² से अधिक न हो
132कछ	5210	बुने हुए सूती कपड़े जिसमें कपास भार के हिसाब से 85% से कम हो, जो कि मुख्यतः या पूर्ण रूप से मानव निर्मित फाइबर्स से मिश्रित हो, जिनका भार 200g/m ² से अधिक न हो
132कज	5211	बुने हुए सूती कपड़े जिसमें कपास भार के हिसाब से 85% से कम हो, जो कि मुख्यतः या पूर्ण रूप से मानव निर्मित फाइबर्स से मिश्रित हो, जिनका भार 200g/m ² से अधिक न हो
132कझ	5212	अन्य बुने हुए सूती कपड़े
132कञ	5309	फ्लैक्स के बुने हुए कपड़े
132कट	5310	जूट या अन्य टेक्सटाईल बास्ट फाइबर्स, जो कि शीर्षक 5303 के अंतर्गत आता है, से बुने हुए कपड़े
132कठ	5311	अन्य वानस्पतिक टेक्सटाईल फाइबर से बुने हुए कपड़े; पेपर यार्न से बुने हुए कपड़े”;

(iii) क्रम संख्या 132ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 132ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“132खक	5401	मानव निर्मित फिलामेंट से बने सिलाई के धागे, चाहे इनकी खुदरा बिक्री की जानी हो या नहीं
132खख	5402	सिंथेटिक फिलामेंट यार्न (सिलाई के धागे से भिन्न), जो खुदरा बिक्री के लिए न हों, जिनमें कम से कम 67 डेसीटेक्स का सिंथेटिक मोनोफिलामेंट भी शामिल है
132खग	5403	आर्टिफिशियल फिलामेंट यार्न (सिलाई के धागे से भिन्न), जो खुदरा बिक्री के लिए न हों, जिनमें कम से कम 67 डेसीटेक्स का आर्टिफिशियल मोनोफिलामेंट भी शामिल है
132खघ	5404	67 डेसीटेक्स या इससे अधिक का सिंथेटिक मोनोफिलामेंट, और जिसका क्रॉस-सेक्शनल डायमेंशन 1 मि.मी. से अधिक हो; सिंथेटिक टेक्सटाईल सामग्री की पट्टियां और इसी प्रकार की वस्तुएं (जैसे कि आर्टिफिशियल स्ट्रॉ), ऊपरी तौर पर जिनकी चौड़ाई 5 मि.मी. से अधिक न हो
132खड.	5405	67 डेसीटेक्स या इससे अधिक का आर्टिफिशियल मोनोफिलामेंट, और जिसका क्रॉस-सेक्शनल डायमेंशन 1 मि.मी. से अधिक हो; सिंथेटिक टेक्सटाईल

		सामग्री की पट्टियां और इसी प्रकार की वस्तुएं (जैसे कि आर्टिफिशियल स्ट्रा), ऊपरी तौर पर जिनकी चौड़ाई 5 मि.मी. से अधिक न हो
132खच	5406	मानव निर्मित फिलामेंट यार्न (सिलाई के धागे से भिन्न) जिसे खुदरा बिक्री के लिए रखा गया हो
132खछ	5407	सिंथेटिक फिलामेंट यार्न से बुने हुए कपड़े, जिसमें वे बुने हुए कपड़े भी आते हैं जो शीर्षक 5404 की सामग्री से प्राप्त किए गए हों
132खज	5408	आर्टिफिशियल फिलामेंट यार्न से बुने हुए कपड़े, जिसमें वे बुने हुए कपड़े भी आते हैं जो शीर्षक 5405 की सामग्री से प्राप्त किए गए हों

(v) क्रम संख्या 132ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 132ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“132गक	5501	सिंथेटिक फिलामेंट टो
132गख	5502	आर्टिफिशियल फिलामेंट टो
132गग	5503	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स, जो कार्डेड न हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों
132गघ	5504	आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स, जो कार्डेड न हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों
132गड.	5505	मानव निर्मित फाइबर्स के अपशिष्ट (जिसमें नोएल्स, यार्न अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक भी आता है)
132गच	5506	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स, जो कार्डेड हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों
132गछ	5507	आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स, जो कार्डेड हों, जो कताई के लिए कोम्बड या अन्य प्रकार से परिष्कृत किए गए हों
132गज	5508	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स से बने सिलाई के धागे, चाहे इनकी खुदरा बिक्री की जानी हो या नहीं
132गझ	5509	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के यार्न (सिलाई धागे से भिन्न), जो कि खुदरा बिक्री के लिए न हों
132गञ	5510	आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स के यार्न (सिलाई धागे से भिन्न), जो कि खुदरा बिक्री के लिए न हों
132गट	5511	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के यार्न (सिलाई धागे से भिन्न), जो कि खुदरा बिक्री के लिए हों
132गठ	5512	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े, जिनमें सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स भार के हिसाब से 85% या इससे अधिक हों
132गड	5513	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े, जिनमें ऐसा फाइबर्स 85% से कम हो, जिसमें कपास मुख्य रूप से या पूर्णतया मिश्रित हो, जिनका भार 170 g/m ² से अधिक न हो
132गढ	5514	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े, जिनमें ऐसा फाइबर्स 85% से कम हो, जिसमें कपास मुख्य रूप से या पूर्णतया मिश्रित हो, जिनका भार 170 g/m ² से अधिक हो

132गण	5515	सिंथेटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए अन्य कपड़े
132गत	5516	आर्टिफिशियल स्टेपल फाइबर्स के बुने हुए कपड़े;

(vii) क्रम संख्या 132घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 139 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ट्विन, कार्डेज, रस्सियां और केबल्स, चाहे ये प्लेटेड या ब्रेडेड हों या नहीं और चाहे रबर या प्लास्टिक से इम्प्रेग्नेटेड, कोटेड या सिदेड हो या नहीं”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ix) क्रम संख्या 139 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“139क	5608	ट्विन, कार्डेज या रस्सियों के नोटेड नटिंग्स फिशिंग नेट्स के मेड अप्स” और अन्य मेड अप्स नेट्स, टेक्सटाईल्स सामग्री के;
-------	------	---

(x) क्रम संख्या 146 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“146क	5801	बुने हुए पाईल फेब्रिक्स और शीनाईल फेब्रिक्स, उन फेब्रिक्स से भिन्न जो शीर्षक 5802 या 5806 के अंतर्गत आते हैं
-------	------	--

(xi) क्रम संख्या 151 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“151क	5806	नैरो ओवैन फेब्रिक्स, शीर्षक 5807 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं से भिन्न; नैरो फेब्रिक्स जो कि बिना वेफ्ट के वार्प से बने हों, और चिपकाने वाले पदार्थ (बोल्डक्स) से जुड़े हों;
-------	------	---

(xii) क्रम संख्या 154 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ब्रेड नग में; अलंकृत झालरें, बिना कशिदाकारी की, बुनी या क्रोशियाकृत से भिन्न, झब्बा, फून्दना और वैसी ही वस्तुएं”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiii) क्रम संख्या 155 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “मेटल थ्रेड से बुने हुए कपड़े और शीर्षक 5605 के अंतर्गत आने वाले धातुकृत यार्न के बुने हुए कपड़े, जिनका प्रयोग परिधानों में किया जाता हो, फर्निशिंग फेब्रिक्स या अन्य उद्देश्य के लिए जिनका उपयोग होता हो, जो अन्य कहीं उल्लिखित न हो”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiv) क्रम संख्या 156 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “कशिदाकारी जो नग में, पट्टियों में या मोटिप्स में हों”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xv) क्रम संख्या 168 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द “इस अध्याय”, के स्थान पर “अध्याय 59”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xvi) क्रम संख्या 168 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“168क	6001	पाईल फेब्रिक्स, जिसमें “लांग पाईल” फेब्रिक्स और टेरी फेब्रिक्स भी आते हैं, जो निटेड या क्रोचेटिड हों
-------	------	--

168ख	6002	निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स, जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से अधिक न हों, जिसमें इलास्टोमेरिक यार्न या रबर श्रेड भार के हिसाब 5% या अधिक हो, उनसे भिन्न जो शीर्षक 6001 के अंतर्गत आते हैं
168ग	6003	निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स, जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से अधिक न हो, उनसे भिन्न जो कि शीर्षक 6001 या 6002 के अंतर्गत आते हैं
168घ	6004	निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स, जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर से अधिक हो, जिनमें इलास्टोमेरिक यार्न या रबर श्रेड भार का हिसाब 5% या अधिक हो, उनसे भिन्न जो शीर्षक 6001 के अंतर्गत आते हैं
168ङ.	6005	वार्प निट फेब्रिक्स (जिसमें वे भी आते हैं जो गैलून निटिंग मशीन्स पर बने हों), उनसे भिन्न जो शीर्षक 6001 से 6004 तक में आते हों
168च	6006	अन्य निटेड या क्रोचेटिड फेब्रिक्स”;

(xvii) क्रम संख्या 169 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन, निटेड या क्रोचेटिड”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xviii) क्रम संख्या 170 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “परिधान की वस्तुएं और कपड़ों के उपसाधन, निटेड या क्रोचेटिड न हों”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xix) क्रम संख्या 171 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

(xx) क्रम संख्या 171क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“171 क1	6301	कंबल और ट्रैवलिंग रग्स
171 क2	6302	बेड लिनन, टेबल लिनन, टायलेट लिनन और किचन लिनन
171 क3	6303	कर्टेन्स (ड्रैप्स समेत) और इंटरियर ब्लाइंड्स; कर्टेन या बेड वेलेन्सेस
171 क4	6304	फर्निशिंग की अन्य वस्तुएं, उनसे भिन्न जो शीर्षक 9404 के अंतर्गत आते हैं
171 क5	6305	बोरे और थैले, जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो
171 क6	6306	तिरपाल, शामियाना और सनब्लाइंड्स; तंबू; नावों के लिए पाल, सेलबोर्ड या लैंडक्राफ्ट; शिविर के सामान
171 क7	6307	अन्य विनिर्मित वस्तुएं, ड्रेस पेटर्न्स समेत
171 क8	6308	सेट्स, जो कि बोवेन फेब्रिक्स या यार्न से बने हों, चाहे इनमें सहायक सामग्री लगी हो या नहीं, जो कि गलीचे, टेपेस्ट्री, कशीदाकारी टेबल क्लॉथ या सर्वियेट्स या इसी प्रकार के कपड़े की वस्तुओं के बनाने के लिए प्रयोग में आते हों, जिनको खुदरा बिक्री के लिए पैकिंग्स में रखा गया हो
171 क9	6309	पहने गए कपड़े और पहनी गई अन्य वस्तुएं
171 क10	6310	प्रयोग में लाए गए या नए रेग्स, स्कैप्स, ट्वाईन, कोर्डेज, रस्सियां और केबल्स तथा ट्वाईन, कोर्डेज, रस्सियां और केबल्स की प्रयोग की हुई वस्तुएं, टेक्सटाईल्स सामग्री के”;
“171 क11	64	फुटवियर, जिनका बिक्री मूल्य 1000 रुपए प्रति जोड़ी से अधिक हो।”

ग. अनुसूची III – 9% में, -

(झ) क्रम संख्या 159, 160, 161, 162 एवं 163 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना, जब तक कि अन्यथा न बताया जाए, 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 13/2021- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 27 अक्टूबर, 2021, जिसे सा.का.नि. 765(अ), दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग- II खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2021

No. 14/2021-Union Territory (Rate)

G.S.R. 818(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

a. in Schedule I – 2.5%, -

(i) S.Nos. 203, 207, 211, 216, 217, 218, 218B, 218C, 219A, 219AA, 219B, 220, 221, 222, 223, 224, 224A and 225 and the entries relating thereto shall be omitted;

b. in Schedule II – 6%, -

(i) S.No. 132A and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) after S.No. 132A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“132AA	5007	Woven fabrics of silk or of silk waste.
132AB	5111	Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair.
132AC	5112	Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair.
132AD	5113	Woven fabrics of coarse animal hair or of horse hair.
132AE	5208	Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing not more than 200g/m ² .
132AF	5209	Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing more than 200g/m ² .
132AG	5210	Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing not more than 200g/m ² .

132AH	5211	Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200g/m ² .
132AI	5212	Other woven fabrics of cotton.
132AJ	5309	Woven fabrics of flax.
132AK	5310	Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading 5303.
132AL	5311	Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn.”;

(iii) S.No. 132B and the entries relating thereto shall be omitted;

(iv) after S.No. 132B and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“132BA	5401	Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for retail sale.
132BB	5402	Synthetic filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex.
132BC	5403	Artificial filament yarn (other than sewing thread), not put up for retail sale, including artificial monofilament of less than 67 decitex.
132BD	5404	Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of synthetic textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm.
132BE	5405	Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no cross-sectional dimension exceeds 1 mm; strip and the like (for example, artificial straw) of artificial textile materials of an apparent width not exceeding 5 mm.
132BF	5406	Man-made filament yarn (other than sewing thread), put up for retail sale.
132BG	5407	Woven fabrics of synthetic filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5404.
132BH	5408	Woven fabrics of artificial filament yarn, including woven fabrics obtained from materials of heading 5405.”;

(v) S.No. 132C and the entries relating thereto shall be omitted;

(vi) after S.No. 132C and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“132CA	5501	Synthetic filament tow.
132CB	5502	Artificial filament tow
132CC	5503	Synthetic staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning.
132CD	5504	Artificial staple fibres, not carded, combed or otherwise processed for spinning.

132CE	5505	Waste (including noils, yarn waste and garnetted stock) of man-made fibres.
132CF	5506	Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning.
132CG	5507	Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning.
132CH	5508	Sewing thread of man-made staple fibres, whether or not put up for retail sale.
132CI	5509	Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, not put up for retail sale.
132CJ	5510	Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, not put up for retail sale.
132CK	5511	Yarn (other than sewing thread) of man-made staple fibres, put up for retail sale.
132CL	5512	Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing 85% or more by weight of synthetic staple fibres.
132CM	5513	Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight not exceeding 170 g/m ² .
132CN	5514	Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% by weight of such fibres, mixed mainly or solely with cotton, of a weight exceeding 170 g/m ² .
132CO	5515	Other woven fabrics of synthetic staple fibres.
132CP	5516	Woven fabrics of artificial staple fibres.”;

(vii) S.No. 132D and the entries relating thereto shall be omitted;

(viii) against S.No. 139, in column (3), for the entry, the entry “Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited or braided and whether or not impregnated, coated or sheathed with rubber or plastics.” shall be substituted;

(ix) after S.No. 139 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

“139A	5608	Knotted netting of twine, cordage or rope; made up of fishing nets and other made up nets, of textile materials.”;
-------	------	--

(x) after S.No. 146 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“146A	5801	Woven pile fabrics and chenille fabrics, other than fabrics of heading 5802 or 5806.”;
-------	------	--

(xi) after S.No. 151 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely:-

“151A	5806	Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs).”;
-------	------	---

(xii) against S.No. 154, in column (3), for the entry, the entry “Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles.” shall be substituted;

(xiii) against S.No. 155, in column (3), for the entry, the entry “Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn of heading 5605, of a kind used in apparel, as furnishing fabrics or for similar purposes, not elsewhere specified or included.” shall be substituted;

(xiv) against S.No. 156, in column (3), for the entry, the entry “Embroidery in the piece, in strips or in motifs.” shall be substituted;

(xv) against S.No. 168, in column (3), for the words “this Chapter”, the word and the figure “Chapter 59” shall be substituted;

(xvi) after S. No. 168 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:-

“168A	6001	Pile fabrics, including “long pile” fabrics and terry fabrics, knitted or crocheted.
168B	6002	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001.
168C	6003	Knitted or crocheted fabrics of a width not exceeding 30 cm, other than those of heading 6001 or 6002.
168D	6004	Knitted or crocheted fabrics of a width exceeding 30 cm, containing by weight 5% or more of elastomeric yarn or rubber thread, other than those of heading 6001.
168E	6005	Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other than those of headings 6001 to 6004.
168F	6006	Other knitted or crocheted fabrics.”;

(xvii) against S.No. 169, in column (3), for the entry, the entry “Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted.” shall be substituted;

(xviii) against S.No. 170, in column (3), for the entry, the entry “Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted.” shall be substituted;

(xix) S.No. 171 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xx) after S.No. 171A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

“171A1	6301	Blankets and travelling rugs.
171A2	6302	Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen.
171A3	6303	Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances.
171A4	6304	Other furnishing articles, excluding those of heading 9404.
171A5	6305	Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods.
171A6	6306	Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods.
171A7	6307	Other made up articles, including dress patterns.
171A8	6308	Sets, consisting of woven fabric and yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs, tapestries, embroidered table

		cloths or serviettes, or similar textile articles, put up in packings for retail sale.
171A9	6309	Worn clothing and other worn articles.
171A10	6310	Used or new rags, scrap, twine, cordage, rope and cables and worn out articles of twine, cordage, rope or cables, of textile materials.
171A11	64	Footwear of sale value not exceeding Rs.1000 per pair.”

c. in Schedule III – 9%, -

(i) S. Nos. 159, 160, 161, 162 and 163 and the entries relating thereto shall be omitted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2022, unless otherwise stated.

[F. No. 190354/206/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note : The principal notification No.1/2017 - Union Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 13/2021 – Union Tax (Rate), dated the 27th October, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 765(E), dated the 27th October, 2021.